न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कि0रेनवाल, जयपुर

पीठासीन अधिकारी : सुनीता मीणा R.A.S.
राजस्व वाद संख्या : 213/2016 दायर तारीख : 03.06.2016
ज्ञानीदेवी बनाम राज्य सरकार वगै0

दावा बाबत इस्तकरार हक व स्थायी निषेधाज्ञा
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सी.पी.सी.

उपस्थित :– श्री ललित कुमार शर्मा अधिवक्ता वादीया/अप्रार्थीया
श्री रामसिंह प्रतिवादीया/प्रार्थीया सं0 4
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक :– 20/6/25

1. इस आदेश के माध्यम से हस्तगत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 जाप्ता दीवानी का निर्णय किया जा रहा है।
2. प्रतिवादीया सं0 4 ने प्रा0पत्र आर्डर 7 नियम 11 व धारा 151 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि वादीया द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष एक दावा घोषणा, दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का वाकै किशनगढ़ रेनवाल तहसील कि0रेनवाल जिला जयपुर के खं0नं0 1270/1/1342 रकबा 5 बीघा वर्तमान खं0नं0 1432/1270 रकबा 1.2645 हैक्टर के बाबत् प्रस्तुत किया है। वादीया विवादित आराजीयात की न तो खातेदार काश्तकार है ना ही उक्त आराजीयात वादीया की पैतृक खातेदारी अधिकारों की भूमि है। वादीया ने उक्त वाद क्लिन हैण्ड से प्रस्तुत नहीं किये जाने एवं विधि द्वारा वर्जित होने से वादी खारिज किये जाने योग्य है। वादीया ने विवादित आराजीयात को जरिये तथाकथित इकरारनामा दिनांक 28.03.1992 को क्रय करना बताया है वादीया द्वारा विवादित आराजीयात का वाद केवल इकरारनामा के आधार पर प्रस्तुत किया है इसलिए उक्त इकरारनामा के आधार पर प्रस्तुत वाद को राजस्व न्यायालय को सुनवायी का अधिकार नहीं है इसलिए वाद को सुनवायी का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायलय को ना होकर सिविल न्यायालय को है इसलिए उक्त वाद राजस्व न्यायालय को सुनवायी का क्षेत्राधिकार नहीं होने से निरस्तनीय है। वादीया ने वाद पत्र बिना वाद कारण उत्पन्न हुये ही प्रस्तुत किया है वादीया का वाद substantial casue of action, grossly delay and clearyly vexatious and frivolous होने के कारण आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी में खारिज किये जाने योग्य है। वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद सिविल प्रकिया संहिता के विधिक प्रावधानों के अनुरूप प्रस्तुत नहीं किया गया इसलिए वादीया का वाद काबिलें खारिज है। वादीया का वाद उपरोक्त तथ्यों के अनुरूप बॉड बाई लॉ होने के कारण काबिलें खारिज हैं। गलत बिनाय दावा के आधार पर दावा आपातकालीन प्रकृति का नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में वादीया धारा 80(2) सीपीसी का लाभ प्राप्त करने की अधिकारणी नहीं है इस आधार पर दावा सरसरी तौर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। वाद पत्र एक अतिरिक्त प्रति के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है जो पेश नहीं किया गया है इस कारण भी विधि द्वारा वर्जित होने से निरस्तनीय है।
3. अप्रार्थीया/वादीया ने प्रा0पत्र के सभी तथ्यों को अस्वीकार करते हुए अपने जवाब में अंकित किया कि वादीया की ओर से मान्य न्यायलाय के समक्ष दिनांक 10.10.2005 को वाद प्रस्तुत किया था वाद प्रस्तुती के समय इकरारकर्ता मनीराम उसकी पत्नि अनादरीदेवी एवं उसके पुत्र बनवारी की मृत्यु हो चुकी थी एवं मनीराम के शेष विधिक उत्तराधिकारियों की कोई जानकारी वादीया को नहीं रही है ना ही मनीराम के कोई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते किशनगढ़ रेनवाल

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

वारिसान रेनवाल में वक्त प्रस्तुती दावा निवास ही कर रहे थे सम्पूर्ण तथ्यों को उल्लेखित करते हुये वादीया की ओर से प्रतिवादी सं0 3 व राज्य सरकार को विधिक नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् ही वादीया की ओर से मान्य न्यायालय के समक्ष उत्पन्न हुई परिस्थितियों के आधार पर ही वाद प्रस्तुत किया गया है प्रार्थीया द्वारा गलत आधारों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीया का प्रस्तुत प्रा0पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 की परिधि में प्रस्तुत न होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीया/प्रतिवादीया की ओर से प्रस्तुत प्रा0पत्र में वर्णित समस्त तथ्य बाद साक्ष्य साबित होने है जो विधि व तथ्यों के मिश्रित प्रश्नों पर आधारित है। ऐसी परिस्थिति में प्रार्थीया/प्रतिवादीया का प्रस्तुत प्रा0पत्र दिनांक 09.02.2024 खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा मान्य न्यायालय के समक्ष जो प्रा0पत्र पेश किया है वह तथ्यों को छिपाकर पेश किया है। मान्य न्यायालय में विचारित प्रकरण में न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपील सं0 7917/2013 में आदेश पारित करते हुये निर्णय पारित किया है कि "प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु प्रस्तुत कर विधवान राजस्व अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी पिंकी शर्मा को जवाब दावा पेश करने का अवसर देकर नियमानुसार विचारण कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे" राजस्व मण्डल के उक्त निर्णय दिनांक 07.02.2013 की पालना में प्रतिवादी द्वारा स्वंय का जवाब प्रस्तुत कर सर्वप्रथम मान्य न्यायालय के समक्ष यह तथ्य साबित करने है कि प्रार्थीया/प्रतिवादी वादग्रस्त भूमि के इकरारकर्ता मनीराम के पुत्र बनवारी की जायंदा पुत्री है, प्रतिवादीया ने मान्य न्यायालय के समक्ष जानबूझकर जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया है प्रथम दृष्टया प्रार्थीया/प्रतिवादीया को अपने जवाब के साथ साक्ष्य में यह साबित करना है कि प्रार्थीया, मनीराम की वंशज है। इन तथ्यों को प्रमाणित करने हेतु दोनों पक्षों की साक्ष्य ली जाकर प्रकरण का अन्तिम निस्तारण विधिपूर्ण तरीके से किये जाने के उद्देश्य से ही न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 10.07.2013 को निर्णय पारित करते हुये प्रकरण को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया है प्रार्थीया ने मान्य न्यायालय के समक्ष वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद का कोई समुचित जवाब प्रस्तुत नहीं किया है ऐसी स्थिति में प्रार्थीया/प्रतिवादीया का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 चलने योग्य नहीं होने से खारिज फरमाया जावे।

4. बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 वकुलाय सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीया/प्रतिवादीया सं0 4 ने अपनी बहस में कथन किया कि वादीया द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष एक दावा घोषणा, दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा का वाकै किशनगढ़ रेनवाल तहसील कि0रेनवाल जिला जयपुर के खं0नं0 1270/1/1342 रकबा 5 बीघा वर्तमान खं0नं0 1432/1270 रकबा 1.2645 हैक्टर के बाबत् प्रस्तुत किया है। वादीया विवादित आराजीयात की न तो खातेदार काश्तकार है ना ही उक्त आराजीयात वादीया की पैतृक खातेदारी अधिकारों की भूमि है। वादीया ने उक्त वाद क्लिन हैण्ड से प्रस्तुत नहीं किये जाने एवं विधि द्वारा वर्जित होने से वादी खारिज किये जाने योग्य है। वादीया ने विवादित आराजीयात को जरिये तथाकथित इकरारनामा दिनांक 28.03.1992 को क्रय करना बताया है वादीया द्वारा विवादित आराजीयात का वाद केवल इकरारनामा के आधार पर प्रस्तुत किया है इसलिए उक्त इकरारनामा के आधार पर प्रस्तुत वाद को राजस्व न्यायालय को सुनवायी का अधिकार नहीं है इसलिए वाद को सुनवायी का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायलाय को ना होकर सिविल न्यायालय को है इसलिए उक्त वाद राजस्व न्यायालय को सुनवायी का क्षेत्राधिकार नहीं होने से निरस्तनीय है। वादीया ने वाद पत्र बिना वाद कारण उत्पन्न हुये ही प्रस्तुत किया है वादीया का वाद substantial casue of action, grossly delay and clearyly vexatious and frivolous होने के कारण आदेश 7 नियम 11

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़रेनवाल सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

सपठित धारा 151 सीपीसी में खारिज किये जाने योग्य है। वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद सिविल प्रकिया संहिता के विधिक प्रावधानों के अनुरूप प्रस्तुत नहीं किया गया इसलिए वादीया का वाद काबिलें खारिज है। वादीया का वाद उपरोक्त तथ्यों के अनुरूप बॉड बाई लॉ होने के कारण काबिलें खारिज है। गलत बिनाय दावा के आधार पर दावा आपातकालीन प्रकृति का नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में वादीया धारा 80(2) सीपीसी का लाभ प्राप्त करने की अधिकारणी नहीं है इस आधार पर दावा सरसरी तौर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। वाद पत्र एक अतिरिक्त प्रति के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है जो पेश नहीं किया गया है इस कारण भी विधि द्वारा वर्जित होने से निरस्तनीय है।

5. वकील वादीया/अप्रार्थीया ने अपनी बहस में कथन किया कि कि वादीया की ओर से मान्य न्यायलाय के समक्ष दिनांक 10.10.2005 को वाद प्रस्तुत किया था वाद प्रस्तुती के समय इकरारकर्ता मनीराम उसकी पत्नि अनादरीदेवी एवं उसके पुत्र बनवारी की मृत्यु हो चुकी थी एवं मनीराम के शेष विधिक उत्तराधिकारियों की कोई जानकारी वादीया को नहीं रही है ना ही मनीराम के कोई वारिसान रेनवाल में वक्त प्रस्तुती दावा निवास ही कर रहे थें सम्पूर्ण तथ्यों को उल्लेखित करते हुये वादीया की ओर से प्रतिवादी सं0 3 व राज्य सरकार को विधिक नोटिस जारी किये जाने के पश्चात् ही वादीया की ओर से मान्य न्यायालय के समक्ष उत्पन्न हुई परिस्थितियों के आधार पर ही वाद प्रस्तुत किया गया है प्रार्थीया द्वारा गलत आधारों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीया का प्रस्तुत प्रा0पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 की परिधि में प्रस्तुत न होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीया/प्रतिवादीया की ओर से प्रस्तुत प्रा0पत्र में वर्णित समस्त तथ्य बाद साक्ष्य साबित होने है जो विधि व तथ्यों के मिश्रित प्रश्नों पर आधारित है। ऐसी परिस्थिति में प्रार्थीया/प्रतिवादीया का प्रस्तुत प्रा0पत्र दिनांक 09.02.2024 खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा मान्य न्यायालय के समक्ष जो प्रा0पत्र पेश किया है वह तथ्यों को छिपाकर पेश किया है। मान्य न्यायालय में विचारित प्रकरण में न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपील सं0 7917/2013 में आदेश पारित करते हुये निर्णय पारित किया है कि ''प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु प्रस्तुत कर विधवान राजस्व अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी पिंकी शर्मा को जवाब दावा पेश करने का अवसर देकर नियमानुसार विचारण कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे'' राजस्व मण्डल के उक्त निर्णय दिनांक 07.02.2013 की पालना में प्रतिवादी द्वारा स्वंय का जवाब प्रस्तुत कर सर्वप्रथम मान्य न्यायालय के समक्ष यह तथ्य साबित करने है कि प्रार्थीया/प्रतिवादी वादग्रस्त भूमि के इकरारकर्ता मनीराम के पुत्र बनवारी की जायंदा पुत्री है, प्रतिवादीया ने मान्य न्यायालय के रामक्ष जानबूझकर जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया है प्रथम दृष्टया प्रार्थीया/प्रतिवादीया को अपने जवाब के साथ साक्ष्य में यह साबित करना है कि प्रार्थीया, मनीराम की वंशज है। इन तथ्यों को प्रमाणित करने हेतु दोनों पक्षों की साक्ष्य ली जाकर प्रकरण का अन्तिम निस्तारण विधिपूर्ण तरीके से किये जाने के उद्वेश्य से ही न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 10.07.2013 को निर्णय पारित करते हुये प्रकरण को प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया है प्रार्थीया ने मान्य न्यायालय के समक्ष वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद का कोई समुचित जवाब प्रस्तुत नहीं किया है ऐसी स्थिति में प्रार्थीया/प्रतिवादीया का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 चलने योग्य नहीं होने से खारिज फरमाया जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ रेनवाल सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल

6. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों एवं बहस उभय पक्ष पर अवलोकन/मनन किया गया। वादीया के वाद के अवलोकन से यह तथ्य इस स्पष्ट है कि वादीया द्वारा जिस आराजीयात के सम्बन्ध में घोषणा खातेदारी चाही गयी है

उक्त घोषणा मनीराम पुत्र नाथूराम के द्वारा सम्पादित इकरारनामा दिनांक 28.03.1992 को आधार बनाकर उक्त इकरारनामें के आधार पर खातेदारी घोषणा प्राप्त किये जाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है। पत्रावली में उपलब्ध असल इकरारनामा के अवलोकन से भी यह तथ्य उभर कर सामने आये है कि उपरोक्त इकरारनामा विवादित आराजीयात के सम्बन्ध में बेचान हेतु सम्पादित किया है तथा इकरारनामें में आराजीयात के बेचान हेतु प्रतिफल की राशि भी अदा किया जाना अंकित किया है ऐसी स्थिति में वादीया यदि उक्त इकरारनामें के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही अथवा वाद प्रस्तुत करना चाहती है तो वह एकमात्र सिविल न्यायालय से ही किसी प्रकार की प्रार्थना प्राप्त कर सकती है राजस्व न्यायालय को इस प्रकार के इकरारनामें के आधार पर खातेदारी प्रदान किये जाने का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है इसलिए वादीया का वाद इस न्यायालय के सुनवाई के क्षेत्राधिकार में न होने से खारिज किये जाने योग्य पाया जाता है।

7. अतः प्रार्थीया/प्रतिवादी सं0 4 द्वारा पेश प्रा0पत्र आर्डर 7 रूल 11 व धारा 151 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर वादीया का वाद खारिज किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थीया/प्रतिवादी सं0 4 द्वारा पेश प्रा0पत्र आर्डर 7 रूल 11 व धारा 151 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर वादीया का वाद खारिज किया जाता है।

निर्णय दिनांक 20/6/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़रेनवाल सत्यमेव जयते

(सुनीता मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल
कि0रेनवाल

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी कि0रेनवाल

बइजलास :– सुनीता मीणा आर.ए.एस.

ज्ञानीदेवी बनाम राज्य सरकार वगै0

दावा बाबत इस्तकरार हक व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नंबर 213/16

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री ललित कुमार शर्मा व हाजरी श्री रामसिंह मिनजानिब मुद्दई रूबरू पक्षकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि प्रार्थीया/प्रतिवादी सं0 4 द्वारा पेश प्रा0पत्र आर्डर 7 रूल 11 व धारा 151 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर वादीया का वाद खारिज किया जाता है। निज .....–..... मुबलिग.....–..... बाबत्.....–..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.....–..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....–..... ...का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20 माह 06 सन् 2025 को जारी की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़रेनवाल सत्यमेव जयते

मुहर

(सुनीता मीणा)RAS
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल
कि0रेनवाल

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	–	–	स्टाम्प अर्जी दावा	–	–
स्टाम्प वकालतनामा	–	–	स्टाम्प अर्जी	–	–
स्टाम्प वजह सबूत	–	–	महन्ताना वकील	–	–
महन्ताना वकील	–	–	खर्चा गवाहान	–	–
खर्चा गवाहान	–	–	फीस कमीश्नर	–	–
फीस कमीश्नर	–	–	बबत् इजराय हुक्मनामा	–	–
मुतफरिक	–	–	मुतफरिक	–	–
मीजान	–	–	मीजान	–	–

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो हरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़रेनवाल सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ रेनवाल